राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3803/2024

ममता देवी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुश शासन सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारंभिक शिक्षा, भरतपुर।
4. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, अजान, कुम्हेर, भरतपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 11.12.2024
आदेश की दिनांक : 17.12.2024

अपीलार्थी की ओर से : श्री सलीम खान, अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा पारित दिनांक 06.12.2024 के विवादित आदेश को चुनौती दे रहा है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, अजान, कुम्हेर, भरतपुर से एसबीएस राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पूंठ, कुम्हेर, जिला भरतपुर में प्रबोधक लेवल–1 के पद पर नियुक्ति दी गई थी। अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 57 पर रखा गया था। (अनुलग्नक–1) इसके बाद प्रत्यर्थी संख्या 2 ने दिनांकित आपत्तिजनक आदेश 14.11.2024 द्वारा प्रत्यर्थी विभाग ने शिक्षकों को नियमित कर्मचारी के रूप में अपीलार्थी की तरह अधिशेष घोषित करके उनकी पोस्टिंग के लिए निर्देश/अनुसूची जारी की है। प्रत्यर्थी विभाग ने काउंसलिंग किए बिना नियुक्ति का विवादित आदेश जारी किया जिसके द्वारा अपीलार्थी को दुर्भावनापूर्ण इरादे से अवैध रूप से अधिशेष घोषित करके नियुक्त किया गया था। (अनुलग्नक–2) अपीलार्थी को शुरू में प्रबोधक स्तर–1 के पद पर नियुक्त किया गया था। अपीलकर्ता को प्रारंभ में दिनांक 29.09.2008 के आदेश द्वारा प्रबोधक लेवल–1 के पद पर नियुक्त किया गया था और अपीलार्थी को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, अजान, कुम्हेर, भरतपुर में पदस्थापना दी गई थी और उसने 01.10.2008 को पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया। (अनुलग्नक–3) आस–पास के ब्लॉक और स्कूलों में पद रिक्त हैं, लेकिन प्रत्यर्थी विभाग ने आस–पास के स्थान के अपीलकर्ता पर विचार नहीं किया और प्रत्यर्थी विभाग ने दिनांक

06.12.2024 को स्थानांतरण आदेश जारी किया जिसके द्वारा अपीलकर्ता को वर्तमान पदस्थापन स्थान से 40 किलोमीटर दूर स्थानांतरित कर दिया गया है। अपीलकर्ता का पति भी राज्य सरकार का कर्मचारी है और राज्य सरकार की नीति के अनुसार जिला सत्र न्यायाधीश, भरतपुर में क्लर्क, ग्रेड–2 के रूप में कार्यरत है, पति/पत्नी उसी स्थान पर कार्यरत हैं। (अनुलग्नक–4) प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी ब्लॉक में प्रबोधक लेवल–1 के पद से कुछ कर्मचारियों को समायोजित कर दिया है और अपीलार्थी वर्तमान कार्यरत स्थान से 40 किलोमीटर दूर नियुक्त है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि आलौच्य आदेश दिनांक 06.12.2024 एवं 14.11.2024 (अनुलग्नक–1 व 2) को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को दिनांक 06.12.2024 के विवादित आदेश की आड़ में वर्तमान पदस्थापन स्थान अर्थात महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, अजान, कुम्हेर, भरतपुर में ही निरंतर कार्यरत रखा जावे।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी अपील में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है अतः अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/ दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिकरण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को किसी विशिष्ट तरीके से निस्तारित करने के संबंध में कोई आदेश नहीं दे रहा है।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य